संख्या0-7 / विविध-28-20 / 2023- 14 (70)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–18/01/2026

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के 4 (चार) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में कुल रु0 17,00,00,000/–(रुपये सत्रह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–15.01.2019 को मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति के आधार पर भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–959(भ), दिनांक–25 01 2019 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग एव शिक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओ के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं रख–रखाव संबधी समस्त कार्य सबंधित विभागो के अधीन गठित निगमो के द्वारा ही कराया जाना है। पुन. स्वास्थ्य विभाग के पत्राक–523, दिनाक–30 04 2019 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक मे मंत्रिपरिषद् की दिनाक–25 09.2019 को आहूत बैठक मे मद सख्या–6 के रूप मे लिये गये निर्णय के आलोक मे भवन निर्माण विभाग के सकल्प संख्या–8959(भ), दिनाक–04 10 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य भवनों (राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एव वर्ष 2010 के बाद बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा निर्मित भवनो को छोड़कर) के अनुरक्षण /एवं रख–रखाव से संबधित सभी कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांक–31.03 2020 तक) मे भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्ववत् कराया जायेगा। दिनांक–01 04.2020 से स्वास्थ्य विभाग से संबधित भवनो का समस्त कार्य (चिकित्सा महाविद्यालय सहित) पूर्णरूपेण स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत गठित बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के माध्यम से कराया जाना है।

2– वर्णित स्थिति मे बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना के पत्राक–9625, दिनाक–09.12 2025, 9626, दिनांक–09.12.2025, 9627, दिनांक–09 12 2025 एवं 9628, दिनांक–09 12.2025 द्वारा अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में रू० 26,50,00,000/–मात्र की राशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– तदनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य के 4 (चार) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए अनुलग्नक–1 के अनुरूप अनुरक्षण एव मरम्मत कार्य हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में कुल रु0 17,00,00,000/–(रुपये सत्रह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2356/वि0(2), दिनाक–12 04.06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3388/वि0(2), दिनाक–18 04 11 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है एवं वित्तीय नियमो के अनुपालन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना की होगी।

5– इस राशि की निकासी मांग सख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0049–चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा शिक्षण संस्थानो के अनुरक्षण एव मरम्मत, विपत्र कोड–20–2210051050049 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुरक्षण एव मरम्मत (27–02) मद मे उपबधित राशि से किया जायेगा।

6– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो अनुरक्षण एवं मरम्मत मद की राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-18653 में जमा कर राशि का खर्च बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत नियमो तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय प्रावधानों के अधीन विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8– बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का धन– ऋण ज्ञापन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र/डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

9– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सख्या–7/विविध–28–20/2023 के पृष्ठ–18/टि० पर प्राप्त है।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11– इसमे सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

28.1.26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–7/विविध–28–20/2023 – 14 (7B) /स्वा0, पटना, दिनांक– 28/01/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबधित जिलाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक सबधित चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/निदेशक, इंदिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7 बी/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.1.26

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नकः–1

राज्य के 4 (चार) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु किये गये माँग के आलोक में आवंटित राशि की विवरणीः–

क्रम सं०	संस्थान का नाम	आवंटित राशि (रुपये में)
1	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	6,00,00,000
2	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा	4,00,00,000
3	इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	2,00,00,000
4	श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	5,00,00,000
	कुल–	**17,00,00,000**

(रुपये सत्रह करोड) मात्र

सरकार के अपर सचिव